:: कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.) ::

|| परिपत्र ||

क्रमांक–458/2020 उज्जैन, दिनांक–02/09/2020

कोरोना संक्रमण के कारण माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार वर्तमान में अपर जिला न्यायालयों के लिए प्रातः 11.00 बजे से 02.00 बजे तक तथा व्यवहार न्यायालय वर्ग–1/वर्ग–2 हेतु 02.00 बजे से 05.00 बजे तक का समय नियत किया गया है।

मेरे संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि अत्यावश्यक परिस्थितियों में पीठासीन अधिकारियों के न्यायालय में आगमन के पूर्व अथवा उनके जाने के पश्चात तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्यालय द्वारा ड्यूटी हेतु सूचित किया जाने पर उनके द्वारा इन्कार किया जाता है अथवा टाल–मटौल किया जाता है जिससे न्यायालयीन/प्रशासनिक कार्य बाधित होता है । वर्तमान में अतिरिक्त कर्मचारीगण की पदस्थापना नहीं होने से उपलब्ध स्टॉफ से ही कार्य संपादित कराया जाना है।

अतः समस्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में आगमन के पूर्व तथा जाने के पश्चात कार्यालयीन समय में किसी भी कर्मचारी को ड्यूटी हेतु निर्देशित किया जाने पर वे निर्देशानुसार कार्य संपादित करेंगे, इन्कार करने अथवा टाल–मटौल किया जाने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

sd/-
(नरेन्द्र प्रताप सिंह)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक–5976/2020 उज्जैन, दिनांक–02/09/2020

प्रतिलिपि–

01–समस्त न्यायिक अधिकारीगण, मुख्यालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित साथ ही आपके न्यायालय/अनुभाग में पदस्थ कर्मचारीगण को भी उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करें।

02–सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, उज्जैन की ओर मुख्यालय उज्जैन पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारियों को ई–मेल के माध्यम से भेजने हेतु प्रेषित।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उज्जैन (म0प्र0)

Scanned with CamScanner